

कार्य का नाम:- नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 0.98 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**FORM – II**  
**(For Non- linear Projects)**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector Uttarkashi**

Name of Projects: - NIM Trainers for Training

No. ...196.....

Dated:- 09/12/2019

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.98** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Nehru Institute of Mountaineering** (name of user agency) for **Training in Mountaineering and Development of Camp** (purpose for diversion of forest land) in the district falls within the jurisdiction of **Bhukki** village(s) **Uttarkashi** in **Bhatwari** tehsils. It is further certified that:

- (a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA, 2006 has been carried out for the entire **0.98** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) Each of the concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificate issued by the Gram Sabha(s) of **Bhukki** villages(s) are enclosed as attachment.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabhas present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per Section 3 (1) of the FRA, 2006.

Encl.: As above.



(Dr. Ashish Chauhan)  
District Magistrate- cum chairman  
District Level Committee

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE  
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest dwellers (recognition of rights act (FRA) 2006.**

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan, I.A.S. District Magistrate Uttarkashi in date 02/12/2019 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **0.98** hect for construction of Trainers Training of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhatwari sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion on objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose

**Place : Uttarkashi**

**Dated : 02/12/2019**



**डिस्ट्रिक्ट  
मैजिस्ट्रेट**

**(Dr. Ashish Chauhan)  
District Magistrate-cum-chairman District  
Level Committee  
Uttarkashi.**



**कार्य का नाम:-** नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 0.98 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**


**ग्राम पंचायत:- भुक्की**  
**तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी**  
**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड में नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु (0.98 है० आरक्षित वन भूमि, — है० सिविल सोयम भूमि — है० वन पंचायत भूमि — है०) अर्थात् कुल 0.98 है० वन भूमि का नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु उत्तरकाशी विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भुक्की द्वारा दिनांक 06/06/19 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भुक्की के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि नेहरु पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि 0.98 है० गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
ग्राम पंचायत भुक्की  
वि०ख०-भटवाड़ी उत्तरकाशी  
ग्राम प्रधान

**नोट :-** यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

**कार्य का नाम:-** नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 0.98 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी**  
**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत**  
**प्रमाण-पत्र**  
**उपखण्ड स्तरीय समिति, भटवाड़ी**

उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु (0.98 हे० आरक्षित वनभूमि ..... हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि ..... हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.98 हे० वन भूमि) को नेहरु पर्वतारोहण संस्थान प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भटवाड़ी) की दिनांक 19-6-19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री ..... उपजिलाधिकारी ..... अध्यक्ष
2. श्री ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य
3. श्री ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... सदस्य/सचिव
4. श्री ..... बी०डी०सी० क्षेत्र ..... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए परियोजना हेतु 0.98 हे० वनभूमि नेहरु पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नेहरु पर्वतारोहण संस्थान परियोजना के निर्माण हेतु 0.98 हे० वनभूमि नेहरु पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी






**प्रतिलिपि:-** जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी



**कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी**  
**जिला स्तरीय समिति,**  
**जिला उत्तरकाशी**

आज दिनांक 09/12/2019 को नेहरु पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 0.98 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में हुयी। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	डॉ० आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	 प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग
3	डी.डी. आर्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	 जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत टकनौर/उत्तरकाशी
5	श्रीमती अनिता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य	 अनिता गुसाईं सदस्य जिला पंचायत-04 लदाई विष्णु-गटवाड़ी, उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	

प्रपत्र-23.1

दिनांक 06/06/19 को ग्राम सभा/सभाओं की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भुक्की

[illegible]